

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) सहनाली ब्लॉक

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

उनवान

हबीबुल्लाखान आदि बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत नाम डुरुस्ती पुत्र अलीमखान

मुकदमा नम्बर :- 109/2021

निर्णय दिनांक :- 22.11.2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.11.21 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दाना वादीगण स्वीकार

किया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या 165 रोहो ग्राम सहनाली ब्लॉक में अंकित खातेदारों का नाम इनायत अली पुत्र अलीमखान व हकीम अली पुत्र अलीमखान के स्थान पर इनायत खान पुत्र अलीमखान व हबीबुल्लाखान पुत्र अलीमखान डुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार चूरु उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में जमल दरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

₹ 905
22.11.2021